प्रेस नोट **दिनांक 18.07.2026**

आज दिनांक 18.07.2026 को तहसील घोसी में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन व पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर एव जिला अधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन के साथ संयुक्त रूप से जन समस्याओं की सुनवाई की जा रही है, समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से भूमि विवाद संबंधी मामलों में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए कि पुलिस व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा संयुक्त जांच कर निस्तारण किया जाए, ताकि फरियादियों को एक विभाग से दूसरे विभाग के चक्कर न काटने पड़ें और उनकी समस्याओं का त्वरित एवं न्यायोचित समाधान सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

पाक्सो एक्ट 01 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 18.07.2026 को थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पादरी बाजार गोरखपुर से मु0अ0स0 223/26 धारा 87, 137(2), 351(3), बीएनएस में वाछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

पाक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह के नेतृत्व में थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर आदेडीह चट्टी से मु0अ0स0 240/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र नेहरु कुमार निवासी आदेडीह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का विवरण-

1. अभिषेक कुमार पुत्र नेहरु कुमार निवासी आदेडीह थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ

पंजीकृत अभियोंग-

1. से मु0अ0स0 240/26 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

जिलाधिकारी मऊ श्री आनन्द वर्धन एवं पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर द्वारा थाना दोहरीघाट क्षेत्रान्तर्गत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं बाढ़ राहत/ फ्लड कम्पनी का किया गया निरीक्षण

जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा थाना दोहरीघाट क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों एवं स्थापित बाढ़ राहत/ फ्लड कम्पनी का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लेते हुए राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों से अब तक की गई व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान बाढ़ राहत/ फ्लड कम्पनियों लिए उपलब्ध कराई जा रही अन्य आवश्यक सुविधाओं का निरीक्षण किया गया। उनकी समस्याएं एवं आवश्यकताओं की जानकारी ली गई तथा संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक महोदय ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखें तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही नाव संचालन, राहत कार्यों एवं संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी महोदय ने सभी संबंधित विभागों को राहत एवं बचाव कार्यों में पूर्ण समन्वय के साथ कार्य करने, राहत सामग्री समय से उपलब्ध कराने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा एवं आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

अंत में पुलिस अधीक्षक एवं जिलाधिकारी महोदय ने आमजन से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल पुलिस अथवा प्रशासन को दें।

राजकीय सम्प्रेषण गृह से फरार बाल अपचारी सकुशल अभिरक्षा में लिया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में जनपद में अपराध/ अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए राजकीय सम्प्रेषण गृह (किशोर), परदहां, मऊ से फरार हुए एक बाल अपचारी को सकुशल अभिरक्षा में ले लिया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.07.2026 को राजकीय सम्प्रेषण गृह (किशोर), परदहां, मऊ से एक बाल अपचारी परिसर की बाउण्ड्री वाल फांदकर फरार हो गया था। इस सम्बन्ध में अधीक्षक राजकीय सम्प्रेषण गृह की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 212/2026 धारा 261, 262 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा प्रकरण की विवेचना प्रारम्भ की गयी। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा तत्काल विशेष पुलिस टीम गठित कर संभावित स्थानों पर लगातार तलाश, सुरागरसी एवं मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 18.07.2026 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने थाना कोपागंज क्षेत्र के ग्राम पूराघाट कुर्थीजाफरपुर में दबिश देकर फरार बाल अपचारी को उसके घर से सकुशल अभिरक्षा में ले लिया। बाल अपचारी को नियमानुसार संबंधित सक्षम प्राधिकारी/किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

अभिरक्षा में लेने का दिनांक, समय एवं स्थान –

दिनांक : 18.07.2026

समय : 02.30 AM

स्थान : ग्राम पूराघाट कुर्थीजाफरपुर थाना कोपागंज, जनपद मऊ।

थाना मुहम्मदाबाद साइबर पुलिस टीम द्वारा, फ्रॉड हुए 69406-/ रुपये पीडित को वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद व प्रभारी निरीक्षक मुहम्मदाबाद के कुशल नेतृत्व में थाने पर नियुक्त साइबर पुलिस टीम द्वारा पीड़ित, शिवशंकर सिंह पुत्र मान बहादुर सिंह निवासी ढाढाचवर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ धनराशि अंजान व्यकित द्वारा फ्राड

कर ली गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा समय रहते साइबर कम्प्लेन की शिकायत की गयी । उक्त शिकायत के आधार पर थाना मुहम्मदाबाद में नियुक्त साइबर टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुये पीड़ित के खाते से फ्राड हुई सम्पूर्ण धनराशि 69406 /- रुपये वापस कराया गया।

गुम/खोये हुए कुल 01 अदद मोबाइल फोन अनुमानित कीमत लगभग 15000 /-रुपये साइबर पुलिस टीम थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में द्वारा गुम हुए मोबाइल फोन की बरामदगी के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल नेतृत्व में थाना कोपागंज पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.07.2026 को गुम हुए 01 अदद मोबाइल फोन पीडित, रामसोच राम निवासी अख्तियारपुर जनपद बलिया मऊ मोबाइल- इनफिनिक्स साइबर क्राइम पुलिस टीम थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से बरामद कर उसके मालिक तस्दीक कर सुपुर्द किया गया।

मऊ पुलिस आमजन से अपील करती है किं मोबाइल फोन गुम होने की स्थिति में तत्काल CEIR पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराये अथवा साइबर हेल्पलाइन नम्बर 1930 पर सम्पर्क करें जिससे त्वरित कार्यवाही कर गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी सुनिश्चित की जा सके।

थाना घोसी पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध जारी 84 बीएनएसएस (उद्घोषणा) मे नोटिस चस्पा की कार्यवाही की गयी -

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में मुकदमों में वांछित अभियुक्तो के के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, थाना घोसी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 49/26 धारा 352,351(2), 69 बीएनएस व 67 आई टी एक्ट मे वांछित चल रहे अभियुक्त अभियुक्त मनजीत चौहान पुत्र स्व० हरीहर चौहान नि०- विक्कमपुर थाना घोसी जनपद मऊ के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा जारी 84 बीएनएसएस की नोटिस के क्रम में आज दिनाँक 18.07.2026 को अभियुक्त के घर विक्कमपुर थाना घोसी जनपद मऊ पहुंचकर अभियुक्त की तलाश की गयी तथा अभियुक्त मौजूद नही मिला। समक्ष गवाहान की उपस्थिति मे नोटिस चस्पा किया गया तथा गांव में घूम-घूम प्रचार प्रसार किया गया तथा अन्य गांव के वाहर स्थित किराना स्टोर की दुकान व पेट्रोल पंप तथा थाने के डेश बोर्ड पर नोटिस चस्पा किया गया। अखबार मे प्रकाशन हेतु मीडिया बन्धुओ को अवगत कराया गया।